

मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग/गूंगे/बहरे/अंधे तथा मंद बुद्धि/पोलियो/लकवाग्रस्त कर्मचारी व उनके आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता

(वर्ष 2017-18 के लिये आवेदन)

सेवा में

सचिव,

मुख्यालय/मंडल/कारखाना

क.हि.नि.उप समिति

जबलपुर/भोपाल/कोटा

महोदय,

कर्मचारी व उनके लड़के/लड़की/आश्रित/भाई/बहन जो मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग/गूंगे/बहरे/अंधे तथा मंद बुद्धि/पोलियो/लकवाग्रस्त के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करता हूँ/करती हूँ। (जो आवश्यक नहीं हो उसे काट दें।)

मेरा सेवा विवरण इस प्रकार है :-

1. नाम
2. पदनाम
3. स्टेशन/कार्य का स्थान
4. फोन नं./मंडल
5. आवासीय पता
6. मूल वेतन रु.....
7. नियुक्ति की तारीख
8. आवेदनकर्ता के साथ रिश्ता पुत्र/कन्या आश्रित
भाई/बहन आश्रित के बारे में इस आशय का एक विवरण, कि आवेदक के पिता जीवित नहीं है और वह पूर्णतः कर्मचारी पर आश्रित है। आवेदक के हस्ताक्षर तथा दो कर्मचारियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर जोड़ा जाये।
9. पारिवारिक सदस्य/आश्रित की जानकारी निम्नानुसार है :-
(क) बच्चे का नाम
- (ख) आवेदन कर्ता के साथ रिश्ता
- (ग) बच्चे की आयु
- (घ) क्या स्कूल जाता है/नहीं जाता है
- (ङ.) क्या किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता मिलती है
- (च) क्या बच्चे को कर्मचारी निधि से आर्थिक सहायता मिलती है यदि हाँ, तो पूरा विवरण लिखिए
- (छ) विकलांगता का प्रकार व विकलांगता प्रतिशत

(सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)





①

पश्चिम मध्य रेलवे

महाप्रबन्धक कार्यालय
कार्मिक विभाग
जबलपुर 482001

पत्र क्र. पमरे/का-मुख्या/456/क/आ.सहा/2017-18 दिनांक 01.11.2017

सभी विभागाध्यक्ष - प.म.रेल.जबलपुर
मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) - जबलपुर/भोपाल/कोटा
मुख्य कारखाना प्रबन्धक - भोपाल एवं कोटा

विषय :- केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि से मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग/
गूंगे/बहरे/अंधे तथा मंद बुद्धि/पोलियो/लकवाग्रस्त कर्मचारी व उनके आश्रितों,
लड़के/लड़की के लिए आर्थिक सहायता वर्ष 2017-18 बाबत।


संदर्भ :- मुख्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक-पमरे/मुख्या/456/कल्याण/एस
बी एफ दिनांक 19.01.2015

-----00000-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि की बैठक दिनांक 26/27.10.2017 में लिए गये निर्णय के अनुसार मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग/गूंगे/बहरे/अंधे तथा मंद बुद्धि/पोलियो/लकवाग्रस्त कर्मचारी व उनके आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता वर्ष 2017-18 हेतु अधिसूचना जारी की जा रही है।

अतः मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों व उनके आश्रितों, जिनका विकलांगता प्रतिशत 40 और उससे अधिक हो, के आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में इस कार्यालय को दिनांक 15.12.2017 के पूर्व भेजा जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न: यथोक्त।


(एस.के.डागोर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर डी)
पमरे/जबलपुर

ka
21/11/17

3

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही है और यदि वह विवरण असत्य पाया गया तो मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र रहूँगा और मुझे दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार रेल प्रशासन को होगा।

दिनांक

स्टेशन

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय

स्टेशन

पत्र संख्या.....

मंडल

दिनांक


सचिव, कर्मचारी हित निधि समिति, को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित। कर्मचारी द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है।

अप्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

मोहर

दिनांक


02/11/11